

## न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./45/2017/जैसलमेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

राजस्थान सराकर जरिये  
श्रीमान तहसीलदार फतेहगढ़।

बनाम 1. सायरकंवर पत्नी स्व० शैतानसिंह  
2. बाबुसिंह पुत्र स्व० शैतानसिंह  
3. गजेसिंह पुत्र शैतानसिंह जातियान  
राजपूत निवासी बड़ोड़ा गांव तहसील  
फतेहगढ़ जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर फतेहगढ़ के राजस्व वाद संख्या 33/2009 बअनवान सायरकंवर वगै. बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2014 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थित


1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्त की ओर से
2. वकील श्री रेवंतसिंह सोलंकी रेस्पोडेंट की ओर से

**निर्णय**

दिनांक:- 21.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपीलाधीन निर्णय द्वारा रेस्पोडेंट के हक में ग्राम सांगाणा के खसरा संख्या 108 रकबा 66 बीघा, खसरा संख्या 108/871 रकबा 06 बीघा व खसरा संख्या 108/872 रकबा 24.19 बीघा कुल रकबा 96.19 बीघा भूमि का रेस्पोडेंट को खातेदार घोषित कर इस आशय घोषणात्मक अज्ञापित जारी की गई है। जबकि यह भूमि सरकारी है। जो सेटलमेंट में भी सरकारी दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री जारी करने में कानूनी भूल की है। सेटलमेंट विभाग द्वारा मौके पर जरीब चलाकर कब्जा काश्त के आधार पर सर्वे करते हुए अभिलेख को अंतिम रूप दिया है। इससे पहले आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु सेटलमेंट विभाग के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति पेश नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त बताई गई भूमि सरकारी भूमि है एवं भू-प्रबंध विभाग में उक्त भूमि सरकारी दर्ज है जिसमें रेस्पोडेंट का कोई कब्जा नहीं है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 24.09.2014 को अपास्त किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि समरी अंदाजिया थी। मौके पर जितनी भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा था उतनी भूमि की खातेदारी रेस्पोडेंट को दी गई तथा शेष भूमि को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा सर्वे करने के पश्चात अभिलेख को अंतिम रूप दिया गया। अभिलेख को अंतिम रूप देने से पूर्व आपतियां प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय दिया गया किन्तु रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपति प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए अब रेस्पोडेंट का इस भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। भू-प्रबंध विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया विधि के अनुरूप अपनाने के पश्चात भूमि को सरकारी घोषित किया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/वादीगण अतिक्रमी है एवं अतिक्रमी को राजकीय भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। समरी खसरा संख्या से वर्तमान खसरा संख्या बने हो ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पर वादीगण/रेस्पोडेंट के पिता/पति का वक्त समरी स्थायी बंदोबस्त से लगातार कब्जा काश्त होने से वादी/रेस्पोडेंट के पूर्वजों की खातेदारी दर्ज थी। भू-प्रबंध कर्मचारियों द्वारा खातेदारी में दर्ज नहीं कर राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया ऐसा करने का सेटलमेंट अधिकारियों को, खातेदार को सुनवाई का अवसर दिये बिना, राजकीय भूमि घोषित करने का अधिकार नहीं था। अपीलाधीन आराजी बिना किसी आधार के सरकारी भूमि दर्ज कर दी गई जिसका भू-प्रबंध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। अमीनों को केवल मात्र दर्ज इन्द्राजो को दौहराने का अधिकार था। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना उसमें कांट-छांट या कमी करने का अधिकार नहीं था। अतः अपीलाट की अपील खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत् रखा जावे।



सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित है। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने व निर्णय डिक्री अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त कर इसका परीक्षण करवाने व जिला कलक्टर जैसलमेर से अपील के निर्देश प्राप्त करने में समय लगने एवं प्रार्थी का अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त होने से अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।


वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाट की अपील मियाद बाहर पेश है एवं अपील पेश करने में हुए विलंब का कोई संतोषजनक कारण भी नहीं बताया। अतः अपीलाट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाडमेर

प्रार्थी के कथनों पर विश्वास एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन के पश्चात अपील अन्दर मियाद शुमार करना उचित है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय ने पाया है कि ग्राम सागाणा के भू प्रबंध विभाग के कम्प्रेटिव रजिस्टर खसरा संवत 2021 के अनुसार समरी खसरा (गत भूमाप) संख्या 05 रकबा 115 बीघा से वर्तमान भूमाप में खसरा संख्या 108 (जालवालो नालो) रकबा 134 बीघा बंजड़ सृजित हुआ है, जो हरलालसिंह वल्द विशनसिंह कौम राजपूत की खातेदारी था, जिसे तत्समय कॉलम संख्या 24 में नाम कृषक के रूप में शैतानसिंह वल्द हमतीग राजपूत साकिन बडोडा गांव के नाम अंकन करके काट दिया और बिलानाम दर्ज कर दिया जो प्रदर्श-2 तथा खतौनी बंदोबस्त ग्राम सागाणा संवत 2028 से 2046 से साबित होता है। इसे अदम सबूत से खारिज किया जाना बताया गया है परन्तु उन्हें इस बाबत सम्यक सूचना/तामीली की कोई पुष्टि नहीं है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत एकतरफा है। यह खसरा संख्या 108 रकबा 134 बीघा तत्समय हरलालसिंह की खातेदारी में भी नहीं अंकित किया। इसी खसरा नंबर में हरलालसिंह के खाते वाली भूमि खसरा संख्या 106 रकबा 190.03 बीघा गोकलसिंह वल्द आईदानसिंह, खसरा संख्या 107 रकबा 92 बीघा हुकमसिंह वल्द तारसिंह के नाम अंकित कर इसी प्रकार काट दिया जाकर बिला नाम दर्ज कर दिया गया। गोकलसिंह वल्द आईदानसिंह के द्वारा सहायक कलक्टर, जैसलमेर के न्यायालय में घोषणा दावा संख्या 20/1978 (वि.अनवान गोकलसिंह बनाम सरकार व अन्य) किया गया जिसका निर्णय दिनांक 13.07.1978 से उन्हे खसरा संख्या 106 रकबा 190.03 बीघा का खातेदार घोषित किया गया जो वर्तमान जमाबंदी संवत 2073-2076 के अनुसार उनकी खातेदारी में है। इसी तरह खसरा संख्या 107 की 11.3098 हैक्टर भूमि वर्तमान में हुमसिंह के वारिसान के नाम खातेदारी में दर्ज है। मि. नंबर 15/72 के अनुसार हुकमसिंह वल्द तारसिंह, गोकलसिंह वल्द आईदानसिंह तथा शैतानसिंह पुत्र हिम्मतसिंह के आवेदन पर आदेशिका दिनांक 21.01.1973 में उक्त तीनों खसरा नं. क्रमशः 106, 107, 108 पर इनका कदीमी से कब्जा काशत होना जाहिर किया परन्तु इसे खारिज कर दिया गया जबकि फर्द इख्तलाफ इन्द्राज खसरा में स्पष्ट किया गया "108 खसरा नं. के संबंध में शैतानसिंह ने उपस्थित होकर अवगत कराया कि हरलाल का इस खेत पर कोई हक नहीं है बल्कि उनके कब्जे काशत में है जो हरलालसिंह जी स्वीकार करता है और स्पष्ट रिपोर्ट हुई कि - "इस खेत को शैतानसिंह वल्द हीमतीग राजपूत



  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर

साकिन देह खातेदारी में दर्ज किया।" अभिलेख पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं बयान हल्का पटवारी के मुताबिक खसरा परिवर्तनशील संवत् 2065 (प्रदर्श-13), खसरा परिवर्तनशील संवत् 2068 (प्रदर्श-14), खसरा परिवर्तनशील संवत् 2067 (प्रदर्श-15), खसरा परिवर्तनशील संवत् 2069 (प्रदर्श-16) से रेस्पोंडेंटगण का उक्त वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काशत साबित है। वाद संख्या 64/10 बअनवान मालमसिंह बनाम सरकार आदेशिका दिनांक 21.09.2011 से की पत्रावली इस पत्रावली के साथ हमफीता की गयी क्योंकि राजकीय सिवाचयक वादग्रस्त भूमि समान है जिस पर घोषणा का दावा दोनों पक्षकारों का है। आदेशिका दिनांक 22.08.2013 को दोनो वादों को पुनः पृथक कर देने के आदेश हुए परन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 33/2009 के साथ संलग्न प्राप्त इस पत्रावली में दिनांक 21.09.2011 के पश्चात कोई कार्रवाही नहीं हुई है।

इस खसरे में से 37.01 बीघा भूमि सुजलान कंपनी को आवंटित हो चुकी है जो पतिवादी गवाह पटवारी प्रागदान के बयानों से साबित है शेष रकबा खसरा संख्या 108 में 60 बीघा, खसरा संख्या 108/871 में 06 बीघा खसरा संख्या 108/872 में 24.19 बीघा कुल 96.19 बीघा किस्म बंजड़ राजकीय सिवाचयक काबिल काशत भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अभिलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य, समान प्रकृति के पूर्व में निर्णीत मामले के निर्णय एवं वादग्रस्त भूमि पर वादीगण पक्ष के कब्जा काशत के आधार पर वाद में प्रदत्त अपीलाधीन निर्णय का विश्लेषण करने पर वह उचित एवं सही पाया गया है जिसमें कोई फेरबदल की गुंजाईश नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांत की अपील खारिज करने योग्य



अतः अपीलांत की अपील सारहीन खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फतेहगढ़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 33/2009 बअनवान सायरकंवर बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.09.2014 को यथावत को रखा जाता है।

21/6/19  
(नखतदानाधारित)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/6/19  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
बाड़मेर  
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर